फर्द अहकाम

गोविन्दनारायण बनाम कन्हैयालाल

म न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

स संख्या 79/2016 T.Z.

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23/5/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/6/25 को पेश है।	
13/6/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/7/25 को पेश है।	
18/7/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप0 पत्राबली, वास्ते तलबी कायम शुमार रजिस्टर दिनांक 8/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	
8/8/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। निर्धारित प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि मे किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण को मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रा. पत्र T.Z. अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खाता सं. 135 के ख.नं. 551 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खाता सं. 136 के ख.नं. 552 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खाता सं. 137 के ख.नं. 553 रकबा 7 बीघा भूमि वाके ग्राम मांडी मे स्थित आराजीयात के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। एक-दूसरे के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	

vivo U20 · AI Camera
2025.09.24 15:12